300 -

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-06/परिवहन ओवरलोडिंग-01/2013 परि0 3777

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक- 9/2/14

विषय : प्रवर्तन तंत्र के प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को वाहन एवं सशस्त्र बल उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि दिनांक-18.06.2014 एवं दिनांक-20.06.2014 को क्रमशः संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार एवं जिला परिवहन पदाधिकारियों तथा मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रवर्तन तंत्र के पदाधिकारियों की मासिक समीक्षात्मक बैठक में समीक्षा के दौरान यह अनुभव किया गया कि जिला स्तर पर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षकों के कार्य में समन्वय का सर्वथा अभाव है । अतः समीक्षोपरान्त यह निदेश दिया जाता है कि -

(क) मोटरयान निरीक्षक एवं प्रवर्तन तंत्र के अवर निरीक्षक/निरीक्षक पर संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी का सामान्य नियंत्रण होगा ।

(ख) वित्तीय वर्ष-2014-15 का शमन का लक्ष्य प्रवर्तन तंत्र को दिया जा चुका है । उनके द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध की जाने वाली राजस्व वसूली की समीक्षा भी की जानी है । जिसके फलाफल पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई भी संभावित है । अतः प्रवर्तन अवर निरीक्षकों/निरीक्षकों के लिए मोटरयान निरीक्षकों हेतु निर्धारित वाहन भाड़ा की दर के आधार पर एक-एक जीप उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त वैसे प्रवर्तन अवर निरीक्षक/निरीक्षक, जो चेक पोस्ट पर प्रतिनियुक्त है उनके लिए चेक पोस्ट पर रोटेशन के आधार पर आवश्यकतानुसार आपके द्वारा वाहन उपलब्ध करायी जाय ताकि जांच चौकी पर जांच कार्य के उपरान्त भी वे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जांच चौकी से इतर जांच कार्य कर सकें । प्रवर्तन तंत्र के उपयोग के लिए वाहनों के भाड़े का भुगतान वाहन का इंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटन प्राप्त कर आपके कार्यालय से हीं किया जाना है ।

(ग) वाहन जांच कार्य हेतु सशस्त्र बल की उपलब्धता आवश्यक है । इसके लिए विभागीय पत्रांक 5588 दिनांक 31.10.2013 द्वारा सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को आवश्यक निदेश भी दिया जा चुका है । अतः इस हेतु आवश्यकतानुसार जांच कार्य के लिए सशस्त्र बल उपलब्धता हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक से संबंध स्थापित कर प्राप्त किया जाय । साथ ही गृह रक्षा वाहिनी/सैफ के जवानों आवश्यकतानुसार अभियाचित किया

जाय तथा प्राप्त बल के स्थिति से विभाग को अवगत कराया जाय । इस पर होने वाले व्यय का भुगतान भी व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं मद् से आपके स्तर से हीं किया जाना है ।

(घ) वाहनों में ओवरलोडिंग की जांच करते वक्त मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-114 का अनुपालन के पश्चात हीं धारा-194 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है । ऐसा ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वाद संख्या-सी.डब्लू.पी.नं.-136/2003(परमजीत भसीन एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य में) दिनांक 09.11.2005 को पारित आदेश में कहा है कि "It is indisputable that the power of compounding vests with the State Government, but the notification *(regarding compounding)* issued in that regard which is permitted to be compounded by payments of the amount fixed, if permitted to be continued, it would amount to fresh commission of the offence for which the compounding was done" अत: ओवरलोडेड वाहनों को ऑफ लोड कर ही आगे बढ़ने दिया जाय और इसकी साक्ष्य हेतु फोटोग्राफी/विडियोग्राफी की जाय ।

इस हेतु सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोटरयान निरीक्षकों एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे जांच कार्य के वक्त डीजिटल कैमरा का उपयोग करें और इसका आवश्यकतानुसार क्रय कर उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी संबंधित जिले के जिला परिवहन पदाधिकारी की होगी ।

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

अनु0-विभागीय पत्रांक-1220 दिनांक-20.03.2012 संलग्न ।

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 3777 पटना, दिनांक- 9/3/14

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 3777 पटना, दिनांक- 9/3/14

प्रतिलिपि : सभी प्रवर्तन पदाधिकारी, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक/निरीक्षक, सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

M.K.P-45

O/C